TEN RUPEES INDIA Rs.10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (3)

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी R-1623-I-14

१- अरिमर्दन सिंह पुत्र सोवरन सिंह,

२- जयसिंह
३- नाथू सिंह
४- राजवीर सिंह

पुत्रगण लाखू सिंह निवासीगण ग्राम हरीला, तेहसील गोरमी जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

विरुध्द

वेदरी सिंह पुत्र चिन्नौर सिंह,
निवासी ग्राम हरीला, तेहसील गोरमी,
जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांकी-२२-४-२०१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २६/१२-१३ निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, आयुक्त महोदय एवं एस०डी०ओ० की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, आयुक्त महोदय एवं एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रारम्भिक न्यायालय व्दारा विधिवत जांच एवम् वर्तमान स्थिति के अनुसार अंकन राजस्व अभिलेखों में किये जाने विषयक दिया था जो न्यायोचित होने से उसे निरस्त किये जाने में भूल की है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के मत में यदि पटवारी महोदय

(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला भिण्ड

प्रकरण कमांक निगरानी 1623–एक / 14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–2014	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना न्यायालय के प्रकरण कमांक 26 / निगरानी / 2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22–04–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त न्यायालय द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका का विधिक रूप से परीक्षण कर तहसीलदार गोरमी को राजस्व अभिलेख में कोई नवीन प्रविष्टि सृजित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने से उनके द्वारा पारित कब्जा प्रविष्टि आदेश को अपने आदेश से निरस्त किया है। जिसे आयुक्त न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	